राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड

A1,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारारोड, देहरादून–248013

ई–मेल : ceo-shauk@uk.gov.in

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

उत्तराखण्ड शासन

पत्रांक–रा0स्वा0प्रा0 / क्लेम मैनेजमेंट / 2022-23 / 838 दिनांक 01 अक्टूबर, 2022

सेवामें,

Head of the Hospital/Medical Superintendent / नोडल अधिकारी/ चिकित्सालय के MEDCO,
समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालय,
उत्तराखण्ड।

विषय : आयुष्मान योजना के अन्तर्गत लाभार्थी का सत्यापन प्रपत्र एंव चिकित्सालय का प्रमाण–पत्र की अनिवार्य व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अधोहस्ताक्षरकर्ता के पत्र संख्या रा0स्वा0प्रा0 / क्लेम मैनेजमेंट / 2022-23 / 824 तथा उसके साथ संलग्नकों दिनांक 28 सितम्बर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संक्षेप में **सभी सूचीबद्ध** चिकित्सालयों को क्लेम दाखिल करने हेतु निम्न तीन कार्यवाही अपेक्षित हैं :–

1. क्लेम हेतु दाखिल धनराशि का बिल लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा इस बिल की एक प्रति लाभार्थी को दी जाये।
2. उपचार के उपरांत लाभार्थी का सत्यापन प्रपत्र क्लेम प्रस्तुत करते समय TMS में अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाये।
3. उपचार के उपरांत लाभार्थी को चिकित्सालय का प्रमाण–पत्र क्लेम प्रस्तुत करते समय TMS में अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाये।

दिनांक 2 अक्टूबर, 2022 से दाखिल किये गये क्लेम्स् की प्रोसेसिंग इन प्रपत्रों के आधार पर की जायेगी। सुलभ सन्दर्भ हेतु दिनांक 28 सितम्बर, 2022 का पत्र एंव उसके संलग्नक पुनः प्रेषित किये जा रहे हैं।

01/10/22

(डॉ0 वागीश चन्द्र काला)
निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट